



सत्यमेव जयते

Revised

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-824/RJ/8/2023-APCR

दिनांक : 02.06.2023

सेवा में,

1 श्री अरुण पुरोहित
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट,
जिला - बाड़मेर,
राजस्थान - 344001
E.mail: dm-bar-rj@nic.in
Ph- 02982-220003

2 श्री दिगंत आनंद
पुलिस अधीक्षक,
जिला - बाड़मेर,
राजस्थान 344001
E.mail: sp.barmer@rajpolice.gov.in
Ph: 8764509201

विषय: सरपंच द्वारा प्रताड़ित करने एवं जान से मारने की धमकी के संबंध में - श्री मंगलराम भील, मेवानगर, राजस्थान का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री मंगलराम भील, जिला - बाड़मेर से एक याचिका दिनांक 22.09.2022 प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन/ Ankit Kumar Sen)
अनुसन्धान अधिकारी /Research Officer
Email ID :researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री मंगलाराम भील
ग्राम - मेवानगर, थाना - जसोल
तहसील - पचपदरा
जिला - बाड़मेर- 344025
(राजस्थान)
E.mail: pk7241439@gmail.com
मोबाइल नंबर: 9460404038